जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN: U40109RJ2000SGC016486

रजि0 कार्या0 : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005, दूरभाष: 0141–2740382–1318, फेक्स: 0141–2747035

वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; ई–मेल : semis@jvvnl.in

क्रमांकः प्रबंध निदेशक/टी.ए./पत्रा. /प्रे. 86 जयपुर, दिनांक 23/02/2017

कार्यालय आदेश

11 के.वी फीडर स्तर पर इनर्जी ऑडिट करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम पत्र सं JPD/ACE (IT) D.23 दिनांक 13.04.15 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये थे। इस आदेश के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओ की टेगिंग (इन्डेक्सिग) उनके संबन्धित फीडर पर की जानी थी। बिलिंग सिस्टम से प्राप्त सूचनाओ का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अनेक उपभोक्ता अभी भी उपयुक्त फीडर पर सूचीबद्ध नहीं है, इस कारण कुछ फीडरों पर इनर्जी ऑडिट की गणना ठीक नहीं हो रही है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को फीडरवार उपभोक्ता इन्डेक्सिंग ठीक करने के लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. प्रत्येक फीडर के लिये नियुक्त फीडर ईंचार्ज जिन्होने मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत फीडर का सर्वे किया है वे सिंगल लाइन डायग्राम (एस.एल.डी) पर उपभोक्ताओं का खाता संख्या (के नम्बर) व नाम को चिन्हित व, सूचीबद्ध कर, कनिष्ठ अभियन्ता को 05.03.2017 तक प्रस्तुत करेंगे।
2. सम्बंधित फीडर के कनिष्ठ अभियन्ता व उपखण्ड के लेखाकार फीडरवार उपभोक्ताओं की टेगिंग को कम्प्यूटर में फीड कर, ठीक करने के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगें व 10.03.2017 तक सभी उपभोक्ताओ की सर्वे के अनुसार बिलिंग सिस्टम में जॉच कर इन्डेक्सिंग ठीक करेंगे।
3. सहायक अभियन्ता इन्डेक्सिग ठीक करने के बाद प्रथम व द्वितीय फेज के सभी फीडरों मे से कम से कम 10% फीडरों की भौतिक रूप से स्वंय साइट पर जाकर रेण्डम जाँच कर यह सुनिशिचत करेगें की फीडर वार उपभोक्ताओं की टेगिंग 100% ठीक हो गई है।
4. सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) अपने वृत में सभी उपखण्डों में प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों के उपभोक्ताओं की टेगिंग 10 मार्च 2017 से पूर्व कराने हेतु प्रावेधिक सहायक – अधीक्षण अभियन्ता के साथ जिम्मेदार होंगे व बिलिंग सिस्टम में सभी प्रविष्टियां ठीक कराने के लिए संबंधित लेखाकार से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों की टेगिंग ठीक करने हेतु इस बाबत संबंधित फीडर इंचार्ज व कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
5. वृत के अधीक्षण अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 मार्च 2017 तक उनके वृत के प्रथम व द्वितीय फेज के सभी फीडरों की टेगिंग इन्डेक्सिग का सत्यापन हो जावे। इस बाबत उपखण्ड वार प्रमाण पत्र वृत स्तर पर संकलित करने के उपरान्त दिनांक 17.03.17 सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) व अधीक्षण अभियन्ता का संयुक्त प्राप्त प्रमाण पत्र संबंधित

SE (O&M) J.V.V.N.L. No. 1851 Date 27/2/17

संभागीय मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत कर दिया जावे ताकि उनके क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय फेज के फीडरों की इंडेक्सिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है।

6. संभागीय मुख्य अभियन्ता व वरिष्ठ लेखाधिकारी (संभाग) संयुक्त रूप से, सभी वृतों से अधीक्षण अभियन्ताओं से प्रथम व द्वितीय चरण के सभी फीडरों की सही इन्डेक्सिग बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ट कर दी है यह प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.17 तक मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) को प्रबंधन निदेशक के अवलोकनार्थ भेजेंगे।

7. संबंधित सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फीडर स्तर पर सभी फीडरों के उपभोक्ताओं की इन्डेक्सिग सत्यापित कर बिलिंग में ठीक कर दी जावे। प्रथम चरण व द्वितीय फेज के कार्य क्षेत्र को 20.03.17 तक पूरा करना अतिआवश्यक है क्योंकि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 व उदय योजना के अन्तर्गत सभी फीडरों पर मीटरों को ठीक रखना उपभोक्ताओ की ऑडिट व उन मीटरों पर इन्डेक्सिग अपडेट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

8. प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों व क्षेत्रों में फीडर इन्डेक्सिग का कार्य पूर्ण करने के बाद तृतीय चरण का भी सर्वे का कार्य अप्रेल 2017 में पूर्ण कर उपरोक्त बिन्दूओं मे वर्णित कार्यवाही पूरी कर सम्पूर्ण फीडरों पर इन्डेक्सिग कार्य का सत्यापन कर बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टिंया ठीक करेंगे।

(ए. के. बोहरा)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (वित्त / तकनीकी),जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय /एमएम / सुरक्षा–प्रशिक्षण / प्रोजेक्ट),जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर / कोटा / भरतपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जेसीसी / जेपीडीसी / एम.आई.एस / प्लान / एमएम / कय. / आई एण्ड एस / आरई / टी.डब्ल्यू / डी.डी.यू.जी.जे.वाई / आईटी / लीगल / एमएण्डपी / वाणिज्य / सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, ...
5. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व / नियंत्रण / आंतरिक अकेंक्षण / वित प्रबन्धन एवं मार्गोपाय), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. कम्पनी सचिव ,जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
10. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष–डिस्कॉम्स / प्रबंध निदेशक, जयपुर ।

23/2/17
(नरेश सक्सैना)
प्रावैधिक सहायक – प्रबंध निदेशक